

## दिनांक 12 अगस्त, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि फरमान पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम ताजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.07.2015 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं - 479/15 धारा 366/376/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.08.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 12.08.2024 को न्यायाधीश श्री तरूण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सों जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फरमान को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।